

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूं
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अमरपुरा)**

पीठासीन अधिकारी :- सीमा शर्मा (R.A.S.)
उनवान

1. ग्यारसीलाल पुत्र श्री झूंथाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. विजय कुमार जोशी पुत्र हरिप्रसाद जोशी, जाति ब्राह्मण निवासी विद्याधर नगर, जयपुर
 2. शिवपाल बनाम झूंथाराम
 3. श्यामलाल पुत्र झूंथाराम
 4. मदनलाल पुत्र झूंथाराम
 5. छोटीलाल पुत्र झूंथाराम
 6. सीता देवी पुत्री झूंथाराम
 7. सुन्दरी देवी पत्नि गणपत
 8. बलराम पुत्र गणपत
 9. बनवारी पुत्र गणपत
 10. ममता पुत्री गणपत
 11. रीना पुत्री गणपत
 12. कालू पुत्र मोहनलाल
- समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं।
13. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं जिला जयपुर।
 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
 15. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा तिगरिया जिला जयपुर, जरिए प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 36/2014

निर्णय दिनांक:- 28.06.2018

निर्णय

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अमरपुरा में पेश हुई। प्रकरण में सम्बद्ध पक्षकारगण उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री का पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं, कुर्रैजात रिपोर्ट पर पक्षकारों को सुना गया, उपस्थित पक्षकारान ने कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 23.06.2017 पर अपनी सहमति जताई व उक्त कुर्रैजात प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्षों की बहस पर बगौर मनन किया गया। न्यायालय अभिमत में हम सभी पक्षकारों की सहमति को मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री करना उचित समझते हैं। अतः वादी का वाद उभयपक्षों की सहमति पर मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर 1053 रकबा 2.01 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

W
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

1052 रकबा 2.40 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है-

1. ग्यारसीलाल पुत्र झूंथाराम हि० 11150/22300 राहिन ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया मूर्तहीन ग्यारसीलाल शिवलाल श्यामलाल मदनलाल छोटीलाल पिता झूंथाराम सीता देवी पुत्री झूंथाराम हि० 9557/22300 सुन्दरी देवी पत्नी गणपत बलराम बनवारी ममता रीना पिता गणपत हि० 1593/22300 कौम अहीर सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052/1 रकबा 1.5075 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1053/2 रकबा 0.6775 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 2.2250 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 13.32।
2. कालूराम पुत्र मोहन कौम ब्राह्मण सा०देह खातेदार राहिन ओ०बी०सी० बैंक शाखा तिगरिया मूर्तहीन को खसरा नम्बर 1052/2 रकबा 0.8925 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8925 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 5.37।
3. विजय कुमार पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 2/51 न्यू विद्याधर नगर जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 1053/1 रकबा 1.3325 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.3325 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 8.01।
4. ग्यारसीलाल पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/4 राहिन ओ०बी०सी० बैंक शाखा तिगरिया मूर्तहीन ग्यारसीलाल शिवलाल श्यामलाल मदनलाल छोटीलाल पिता झूंथाराम सीता देवी पुत्री झूंथाराम हि० 6/28 सुन्दरी देवी पत्नी गणपत बलराम बनवारी ममता रीना पिता गणपत हि० 1/28 कौम अहीर बिलारहन कालूराम पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 राहिन ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया, मूर्तहीन जाति ब्राह्मण सा० देह विजयकुमार पुत्र हरिप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी 2/51 न्यू विद्याधर नगर जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अमरपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा० ट्रेडिंग)
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा० ट्रेडिंग) चौमूँ

डिक्री मुकदमा इत्दादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) चौमूं
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अमरपुरा)
पीठासीन अधिकारी :- सीमा शर्मा (R.A.S.)

उपन्याय
1. ग्यारसीलाल पुत्र श्री झूंथाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।


- वनाम** **वादी**
- विजय कुमार जोशी पुत्र हरिप्रसाद जोशी, जाति ब्राह्मण निवासी विद्याधर नगर, जयपुर
 - शिवलाल बनाम झूंथाराम
 - श्यामलाल पुत्र झूंथाराम
 - मदनलाल पुत्र झूंथाराम
 - छोटीलाल पुत्र झूंथाराम
 - सीता देवी पुत्री झूंथाराम
 - सुन्दरी देवी पत्नि गणपत
 - बलराम पुत्र गणपत
 - बनवारी पुत्र गणपत
 - ममता पुत्री गणपत
 - रीना पुत्री गणपत
 - कालू पुत्र मोहनलाल
- समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं।
- उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं जिला जयपुर।
 - राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 - ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा तिगरिया जिला जयपुर, जरिए प्रबन्धक।
- प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 36/2014 निर्णय दिनांक:- 28.06.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरु सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. ग्यारसीलाल पुत्र झूंथाराम हि0 11150/22300 राहिन ओ0बी0सी0 शाखा तिगरिया मूर्तहीन ग्यारसीलाल शिवलाल श्यामलाल मदनलाल छोटीलाल पिता झूंथाराम सीता देवी पुत्री झूंथाराम हि0 9557/22300 सुन्दरी देवी पत्नी गणपत बलराम बनवारी ममता रीना पिता गणपत हि0 1593/22300 कौम अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052/1 रकबा 1.5075 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1053/2 रकबा 0.


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

6775 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 2.2250 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
 लगान 13.32।

2. कालूराम पुत्र मोहन कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार राहिन ओ०बी०सी० बैंक शाखा तिगरिया मूर्तहीन को खसरा नम्बर 1052/2 रकबा 0.8925 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8925 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 5.37।
3. विजय कुमार पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 2/51 न्यू विद्याधर नगर जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 1053/1 रकबा 1.3325 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.3325 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 8.01।
4. ग्यारसीलाल पुत्र झूथाराम हिस्सा 1/4 राहिन ओ०बी०सी० बैंक शाखा तिगरिया मूर्तहीन ग्यारसीलाल शिवलाल श्यामलाल मदनलाल छोटीलाल पिता झूथाराम सीता देवी पुत्री झूथाराम हि० 6/28 सुन्दरी देवी पत्नी गणपत बलराम बनवारी ममता रीना पिता गणपत हि० 1/28 कौम अहीर बिलारहन कालूराम पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 राहिन ओ०बी०सी० शाखा तिगरिया, मूर्तहीन जाति ब्राह्मण सा० देह विजयकुमार पुत्र हरिप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी 2/51 न्यू विद्याधर नगर जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ...मबलिक ... बाबत ... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ...
 ... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.06.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 एवं कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
 (फा० ट्रे०) चौमू

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 चौमू (जयपुर)